All

अति आवश्यक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :– प. 14/17/रामले/अंकमिलान/पार्ट–2/ दिनांक :–

जिला कलक्टर
समस्त, राजस्थान।

विषय :– राजकोष में जमा होनेवाले चालानों का तहसील/उपखण्ड कार्यालय/ जिला कलक्टर कार्यालय में भौतिक सत्यापन करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मण्डल स्तर से अनेक बार निर्देश जारी करने के पश्चात् भी चालानों के शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन को गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कोष व लेखा तथा ई–कोषाधिकारी, जयपुर द्वारा जारी निर्देशों की प्रति भी आपको पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः राजकोष में जमा होने वाले चालानों के तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/ जिला कलक्टर कार्यालयों में सत्यापन/प्रमाणीकरण के संबंध में निम्न प्रक्रिया अमल में लाने हेतु अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करावें।

1. तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/ जिला कलक्टर द्वारा किसी प्रकरण में संपरिवतर्तन/ आवंटन/ नियमन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों द्वारा राजकोष में जमा कराई गई राशि का सत्यापन/ प्रमाणीकरण ई–ग्रास से कराया जाना हैं। जमा राशि के सत्यापन/ प्रमाणीकरण की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी–

ए– जिला कलक्टर द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व जिला राजस्व लेखा शाखा में पदस्थापित स0रा0ले0–I/स0रा0ले0–II द्वारा चालान की राशि का राजकोष में जमा होने का सत्यापन किया जायेगा।

बी– उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व राजकोष में जमा राशि का सत्यापन संबंधित तहसील के तहसील राजस्व लेखाकार/कार्यवाहक तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा किया जायेगा।

2. राजकोष में जमा कराये गये चालान की राशि का सत्यापन/ प्रमाणीकरण में संबंधित पत्रावली पर राजस्व लेखा अधिकारी/ कार्मिक द्वारा निम्नानुसार विवरण अंकित किया जायेगा :–

ए– जमाकर्ता का नाम

बी– चालान की जीआरएन संख्या/ दिनांक

सी– बैंक का नाम व शाखा

डी– जमा राशि

ई– पूर्ण बजट शीर्षक उपमदों सहित

एफ– राशि जमा के बाद ई–ग्रास पर प्रदर्शित चालान सं0/ दिनांक

3. जारी किये जाने वाले संपरिवर्तन/ आवंटन/ नियमन आदेश में राजकोष में जमा कराई गई राशि के चालान के ई–ग्रास द्वारा जनरेट चालान सं0/ दिनांक का उल्लेख किया जाएगा।

4. संपरिवर्तन/ आवंटन की दायर पंजिका में आदेश जारी होने पर जमा राशि के चालानों की ई–ग्रास की चालान सं0/ दिनांक का अंकन किया जाएगा।

5. प्रतिमाह राजकोष में जमा समस्त चालानों की सूची संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा जिला राजस्व लेखा शाखा को भिजवायी जाएगी। तत्पश्चात् समस्त चालानों के राजकोष में जमा होने का सत्यापन जिला राजस्व लेखा शाखा में पदस्थापित स0रा0ले0–I/II द्वारा किया जायेगा तथा उस जमा राशि की आय को जिले की राजस्व आय में शामिल होने की सुनिश्चितता की जाएगी।

यदि किसी स्तर पर बैंक में जमा होने के बावजूद ई–ग्रास में चालान प्रदर्शित नहीं होता हैं अथवा अन्य कोई वित्तीय अनियमितता ज्ञात होती हैं तो इसकी सूचना मय चालान प्रति ई–कोषाधिकारी, जयपुर(ई–मेल आई0डी0– e-to-rj@nic.in) को प्रेषित करते हुए प्रति मण्डल को पृष्ठांकित की जाएगी।

पत्र की प्रति अधीनस्थ समस्त राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

sd

(विनीता श्रीवास्तव)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।

क्रमांक/सम/ 5753-5774 दिनांकः– 3-6-19

प्रतिलिपिः–

1– सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को बेवसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित हैं।
2– सयुक्त निदेशक, कोष व लेखा, वित्त भवन, जयपुर
3– ई–कोषाधिकारी, वित्त भवन, जयपुर
4– सहायक राजस्व लेखाधिकारी –I, आंतरिक लेखा जॉच दल(आय)मु0 कलेक्ट्रेट को प्रेषित कर लेख हैं कि प्रत्येक कार्यालय के निरीक्षण के समय उपरोक्त निर्देशों की पालना होना सुनिश्चित करें।

अति0निबन्धक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर